

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) अजमेर

क्रमांक :- 2190

दिनांक :- 17/10/22

विज्ञप्ति

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत सामाजिक अकॅक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 31.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. स.	सेवा के नाम	संख्या	मानेदय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	54	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस(सामाजिक अकॅक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवो जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की वेबसाइट Ajmer.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र केवल ई मेल - socialauditajmer@gmail.com दिनांक 31.10.2022 तक मध्यरात्री 12 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

Amr
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
जिला कलेक्टर अजमेर

प्रतिलिपि:- 2191-95/ 17/10/22

- श्रीमान् निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर।
- उपनिदेशक एसीपी सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप जिला अजमेर की वेबसाइट पर अपलोड करें। जिले की वेबसाइट पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप हेतु मेनुबार में आनलाईन एप्लीकेशन के नाम से सृजित करें। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनू में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। जिससे अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकें। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनू में नवसृजित ई मेल - socialauditajmer@gmail.com भी लिखें।
- सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी अजमेर।
- सम्पादक दैनिक भास्कर अजमेर/ राजस्थान पत्रिका अजमेर उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम परिक्षेत्र में जिला स्तरीय संस्करण में डीपीआर की दर पर प्रकाशन कर बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

Amr
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
जिला कलेक्टर अजमेर

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) (जिला अजमेर)

क्रमांक :- 2196

दिनांक :- 17/10/2022

संशोधित विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अकॅक्षण कार्यो के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MORD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश/ अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (.मासीक आधारित) पर निर्धारित शर्तो पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ई मेल - socialauditajmer@gmail.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र (online applications) आमंत्रित किये जाते है :-

1 सेवाओं के लिए मुख्य शर्तो का सारांश :-

क्र. स.	सेवा के नाम	संख्या	मानेदय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी/ प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	54	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अकॅक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवो जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

2 आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाइन(online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी कर जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई मेल - socialauditajmer@gmail.com आवेदन पत्र लिये जायेंगे।
- सभी आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (online application form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सम्बन्धित जिला कार्यालय अजमेर की वेबसाईट Ajmer.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशो को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गयी हैं। आवेदन द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें

क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी की प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगी। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

3. आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र, मय सलंगन दस्तावेज सहित स्कैन कर पीडीएफ फाइल में ई मेल – socialauditajmer@gmail.com पर स्वीकार होंगे अधिकतम पी.डी.एफ की साईज 5MB से ज्यादा न हो।

4. **परीक्षा शुल्क** :- आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100/- रुपये SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC Code :- SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के ई-मेल पर भिजवाये।

अजा/अजजा/अति पिछडावग के आवेदको को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।

5. **पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें** :-

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों उके चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21) SSAAT/नियमवाली/23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधन विनियम समसंख्य आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार हैं, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (**Qualification**) होनी आवश्यक है।

1. **शैक्षणिक योग्यता** :- पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. **प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता** :- RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिक/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगी।
3. **आयु** :- आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अकेंक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसाटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदन राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
6. आवेदन :- कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त सभी आहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) उपरोक्त सभी बिन्दू संख्या 4(1) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।

(ख) बिन्दू संख्या 4(5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।

(ग) बिन्दू संख्या 4(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(ग) बिन्दू संख्या 4(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अनय विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदन द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेंटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।

2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
5. आवेदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत)का सामाजिक अकॅक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अकॅक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिको) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोजस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई मेल – socialauditajmer@gmail.com पर ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगी।
- 6 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई मेल – socialauditajmer@gmail.com पर भरे जायेगे।

7 मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन सम्बन्धि चयन समिति द्वारा किया जावेगा। तथा इसके पश्चात् ही अन्तिम वरियता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहें व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते हैं वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 8 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाये लिया जाना प्रस्तावित हैं वे पूर्णतः अस्थयी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जानें बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध अवधि किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अकॅक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रु. के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये

अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवाये पूर्णतः अस्थायी है एवं मासिक संविदा आधारित है।

- 9 कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अकेंक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- 10 उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्त प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होंगे।
- 11 विवाद की स्थिति में सभा प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे।

Amul
जिला कार्यक्रम समन्वक एवं
जिला कलेक्टर अजमेर

प्रतिलिपि:- 2197-98 / 17.10.2022

- 1 श्रीमान निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर।
- 2 उपनिदेशक एसीपी सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करें। जिले की वेबसाईट पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप हेतु मेनुबार में आनलाईन एप्लीकेशन के नाम से सृजित करें। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनू में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करें। जिससे अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकें। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनू में नवसृजित ई मेल - socialauditajmer@gmail.com भी लिखें।

Amul
जिला कार्यक्रम समन्वक एवं
जिला कलेक्टर अजमेर

जिला

आवेदन पत्र का प्रारूप

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नाम जन्म की तारीख आयु (दिनांक 10.2022 को) वर्ष मास

पिता/पति का नाम माता का नाम विवाहिक स्थिति वर्ग विशेष वर्ग

वार्षिक पारिवारिक आय गोबाईल नंबर वैकल्पिक गोबाईल नंबर

ई-मेल स्थाई पता गाँव का नाम ग्राम पंचायत का नाम

पंचायत समिति का नाम जिला आधार नंबर

पत्राचार का पता

शैक्षणिक योग्यता

कर्स	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

कर्स	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	अनुक्रमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	RSCIT								
2	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं ? हों / नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव : हों / नहीं

यदि हों तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कर्स	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अंकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

डिबारमेंट / आपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए बर्जित किया है। हों / नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हों / नहीं

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर